**ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA**
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 60-**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

# भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

**डॉ0 रमेश रौशन**

एम0ए0 पीएच0डी0–(श्रम एवं समाजकल्याण), मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, ग्राम + पोस्ट– हथियार, जिला– गया (बिहार) भारत

**Received-05.08.2025, Revised-14.08.2025, Accepted-20.08.2025 E-mail : aaryvart2013@gmail.com**

***सारांशः*** ***समाज में प्रत्येक व्यक्ति इतना समर्थ नहीं होता कि वह अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति कर सके। बूढ़े, असहाय, कठिन रोग से पीड़ित अथवा बेकार व्यक्ति को दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार आमतौर से प्रसूतावस्था में स्त्रियों को दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि इनकी सहायता न की जाये तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाए। फिर जब उन्होंने अपनी समर्थ हालत में समाज की सेवा की है तो उनका यह अधिकार भी है कि उनकी असहाय अवस्था में समाज उनकी देखभाल करे। अतः प्रत्येक प्रगतिशील क्षेत्र में स्त्री, बच्चों, बूढ़ों, बेकार, अपाहिजों और रोगियों आदि की सुरक्षा की कुछ व्यवस्था की जाती है। यह व्यवस्था ही सामाजिक सुरक्षा है।***

***कुंजीभूत शब्द–*** **अहिंसक–राज्य–पद्धति, सर्वोदय, नवीन आर्थिक–संरचना, ट्रस्टीशिप सिद्धान्त, विश्वस्त वृत्ति, उपनिवेशवाद।**

सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य बीमारी, दुर्घटना, गरीबी, वृद्धावस्था आदि से व्यक्तियों की रक्षा करना है।

**1. सर विलियम बैवरिज –**"सामाजिक सुरक्षा पाँच दैत्यों अर्थात् अभाव, रोग, अज्ञान, गन्दगी और बेकारी पर एक आक्रमण है।"[1] जैसा कि इस परिभाषा से स्पष्ट है सामाजिक सुरक्षा में अभाव, बीमारियों, अज्ञान, गन्दगी और बेकारी से व्यक्ति की रक्षा की जाती है और उनको दूर करने कोशिश की जाती है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति के स्वास्थ्य और रहन–सहन का स्तर बनाये रहती है, उसकी शिक्षा का प्रबन्ध करती है और आपत्तियों से उसकी रक्षा करती है। सर विलियम बैवरिज योजना (जैम ठमअमतपकहम च्संद 1942) प्रस्तुत करते हुए सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण की राह से इन पाँचों दानवों को दूर करने पर जोर दिया। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा एक सुआयोजित और संगठित प्रयास है।

**2. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित Approaches to Social Security के अनुसार –** "सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज के उपयुक्त संगठन के द्वारा उन खतरों के विरुद्ध उपस्थित करता है जो उसके सदस्य पर आ सकते हैं।"[2] इसी पुस्तक में सामाजिक सुरक्षा को इस प्रकार समझाया गया है– "अपने जीवन में दो अवस्थाओं, बाल्यवस्था और वृद्धावस्था में मनुष्य दूसरों पर आश्रित रहता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों अवस्थाओं के बीच में भी ऐसे अवसर आ सकते हैं (जैसे रोग अथवा दुर्घटना आदि) जबकि वह अपनी रोजी कमाने में असमर्थ हो जाए। मनुष्य की सहज वृत्ति उसे बाल–बच्चों के पालन–पोषण को प्रेरित करती है परन्तु मनुष्य के संकटों में प्रकृति ने उसके पालन–पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की। इन सब संकटों से मनुष्य के परावलम्बी हो जाने पर उसकी सहायता करना ही सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य है।"

**3. सामाजिक सुरक्षा पर प्रथम अन्तः अमरीकन सम्मेलन –** "प्रत्येक देश को अपनी सक्रिय पीढ़ी की बौद्धिक, नैतिक तथा शारीरिक शक्ति की उत्पत्ति, संरक्षण और संगठन करना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग तैयार करना चाहिये, और उत्पादक जीवन से निकाली गई पीढ़ी को सहायता देनी चाहिए। यही सामाजिक सुरक्षा–मानवीय साधनों की और मूल्यों की एक वास्तविक और विवेकपूर्ण मितव्ययिता है।"[3] इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी की इस प्रकार रक्षा तथा विकास किया जाता है कि देश के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो।

**भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता –** भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्व अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है क्योंकि भारत में बेकारी, बीमारी, अभाव, अज्ञानता तथा गन्दगी अन्य देशों से अधिक है। सामाजिक सुरक्षा से इन पाँचों दानवों के पंजे से छुटकारा मिलेगा। भारत में सामाजिक सुरक्षा के विषय में मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

**1. बुढ़ापें में सहारो की व्यवस्था :** बुढ़ापे में सभी को सहारे की आवश्यकता पड़ती है। भारतवर्ष में अधिकतर लोग इतने निर्धन हैं कि वे जवानी भर काम करके भी बुढ़ापे के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा सकते। मध्यम वर्ग के लोगों तक की अपनी मासिक आय में से कुछ बचाकर रखना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में बुढ़ापे में बड़ी बुरी हालत हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा योजना बुढ़ापे में सहारे की व्यवस्था करती है। सामाजिक बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा का एक अंग है। भारत में सामाजिक बीमा योजना सबके लिए उपलब्ध हो जाने से बूढ़े अपने परिवारों पर भार बन कर नहीं रहेंगे और न पैसे की चिन्ता में घुलेंगे। इससे उनके बुढ़ापे का प्रबन्ध अपने आप होता रहेगा।

**2. भावी पीढ़ी का उत्तम पालन–पोषण :** भारतवर्ष में श्रमिकों तथा अन्य निम्न वर्गीय लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे अपने बाल–बच्चों का भली प्रकार पालन–पोषण कर सकें। सामाजिक सुरक्षा योजना में, प्रत्येक बालक पर माता–पिता को राज्य अथवा मालिकों की ओर से कुछ सहायता मिलती है, जिससे उनका पालन–पोषण और शिक्षा–दीक्षा आसान हो जाती है। भारतवर्ष में अभी सामाजिक सुरक्षा के साधनों से वह सुविधा नहीं मिल पाई है। इससे निर्धन परिवारों में बाल–बच्चों की बड़ी दुर्दशा है।

**3. आश्रितों का सामाजिक बीमा :** भारतवर्ष में बहुधा पूरे परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाले होता है। यदि दुर्भाग्यवश कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो स्त्री, बच्चों तथा अन्य आश्रितों की बड़ी दुर्दशा होती है और वे बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। सामाजिक बीमा योजना में कमाने वाले की असमय मृत्यु हो जाने पर बीमे की पूरी रकम उसके आश्रितों को मिल जाती है। श्रमिकों की स्त्री व बच्चों को पेंश न के रूप में कुछ निश्चित धन प्रति माह मिलता रहता है। इस प्रकार भारत में लाखों परिवार दुर्दशा से बच जायेंगे।

**4. बेकारी में सहायता :** भारतवर्ष में बहुत थोड़े लोगों को वर्ष में पूरे दिन काम मिल पाता है। बहुत से लोग वर्ष में महीनों बेकार रहते हैं। इसके अलावा जो लोग काम पर लगे भी हैं उनके बेकार होने के भी अवसर आ जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बेकारों को सहारा मिलेगा और वे स्वस्थ रहकर काम की खोज कर सकेंगे तथा बेकारी से घबरा कर कोई गलत काम करने के अवसर नहीं आयेंगे।

**अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

**5. दुर्घटनाओं आदि में सहायता :** भारतवर्ष में उद्योगों और यातायात के साधनों में इतने नवीनतम यन्त्र इस्तेमाल नहीं किये जाते कि दुर्घटायें बहुत कम हों। कारखानों का प्रबन्ध भी पाश्चात्य कारखानों की अपेक्षा बड़े पुराने ढंग का और अव्यवस्थित है। अधिकतर श्रमिक भी इतने प्रशिक्षित नहीं होते कि खतरनाक मशीनों से बचाव कर सकें। कोयले की खानों जैसे उद्योगों में तो सब प्रकार की सावधानी रखते हुए भी दुर्घटनाओं के अवसर आ ही जाते हैं। दुर्घटना से व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से असमर्थ हो जाते हैं जिससे उनकी तथा उनके परिवार की बड़ी दुर्दशा होती है। दुर्घटनाओं का शिकार होने पर आमदनी का रास्ता ही बन्द नहीं होता बल्कि उल्टे इलाज, पथ्य आदि के लिए खर्च की आवश्यकता और बढ़ जाती है। ऐसे सामाजिक सुरक्षा योजना वरदान की तरह व्यक्ति के काम आती है और भगवान की तरह उसकी रक्षा करती है।

**6. माताओं और शिशुओं की रक्षा :** भारत में माताओं और शिशुओं की बड़ी दुर्दशा है। उनकी मृत्यु की संख्या भारत में संसार के सब देशों से अधिक है। भारत की कुल मृत्यु संख्या में से 42 प्रतिशत 10 वर्ष से कम आयु के बालकों की है। देश में प्रसूति के समय प्रतिवर्ष ढाई लाख माताओं की मृत्यु होती है। स्त्री श्रमिकों की तो और भी दुर्दशा है। उनको प्रसूति के समय तथा उसके पहले और बाद में अवकाश और पैसे की आवश्यकता रहती है जिसके अभाव में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। काम के घण्टों में उनके बाल–बच्चों की देख–भाल कठिन हो जाती है। अतः बहुत से श्रमिक स्त्रियाँ काम पर जाते समय अपने बालकों को अफीम खिलाकर सुला जाती है। इससे बालकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से स्त्रियों को मातृत्व सहायता मिलती है और प्रसूति के पहले तथा बाद में सवेतन अवकाश दिया जाता है। बालकों के लिए शिशु गृहों की व्यवस्था की जाती है।

**7. रोगों की रोकथाम और चिकित्सा :** भारत में जनता के स्वास्थ्य का स्तर अन्य देशों के लोगों की तुलना मे नीचा है। इसका एक बड़ा कारण देश में रोगों का अधिक होना है। उदाहरण के लिए देश में टी0 बी0 के रोगियों की संख्या 25 लाख है जिनमें से 50 हजार प्रतिवर्ष मर जाते हैं। कैन्सर जैसे भयंकर रोग से प्रतिवर्ष दो लाख लोग मरते हैं। कोढ़ जैसे घुणित रोग से 10 लाख लोग पीड़ित हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में रोगों की चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाता है और उनकी रोकथाम के उपाय किये जाते हैं।

**8. गन्दगी से छुटकारा :** रोगों को दूर रखने तथा काम करने की दशाओं की स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गन्दगी को दूर करने की भी व्यवस्था की जाती है। भारत में कारखानों, दफ्तरों तथा काम करने की जगहों में पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत कम सफाई रहती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से इस गन्दगी के दानव से छुटकारा मिलेगा।

**9. अभाव से छुटकारा :** सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के महत्व के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उनसे भारत की भूखी, नंगी और अभाव से त्रस्त जनता को छुटकारा और सुख मिलेगा। अभाव से छुटकारे के बिना व्यक्ति सफल नागरिक नहीं बन सकता और न उसका व्यक्तित्व ही सन्तुलित रह सकता है। सामाजिक बीमा योजना वेतन की सुरक्षा करती है तथा आर्थिक अभाव से छुटकारा दिलाती है। सामाजिक सुरक्षा की अन्य योजनाओं से अन्य प्रकार के अभावों से भी छुटकारा मिलेगा।

**10. चरित्र और व्यक्तित्व का विकास :** अन्त में सामाजिक सुरक्षा योजनायें अप्रत्यक्ष रूप में भारतीय श्रमिक और किसान के चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होंगी। उनसे उसकी निराशा, दब्बूपन, पलायनवाद तथा दैत्य आदि मिट जायेंगे और वह आत्म–निर्भर हो जायेगा। उसकी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी तथा उद्यमी बनने का उत्साह मिलेगा। डॉ0 वी0 जगन्नाथम के शब्दों मे, "सामाजिक सुरक्षा जिन न्यूनतम अवस्थाओं का प्रबन्ध करती है उनके ऊपर और उनसे परे सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने और वैयक्तिक आकांक्षाओं का क्षेत्र रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था आत्म–निर्भरता को कम न करेगी, न ही सुरक्षा का अर्थ आन्तरिक गतिशील शक्ति से हीन आराम ही होगा। अभाव से स्वतन्त्रता आत्माभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए सीढ़ी का काम करेगी।"[4]

**11. सामाजिक और आर्थिक अन्तर में कमी :** अन्य प्रगतिशील देशों की अपेक्षा भारत में व्यक्ति–व्यक्ति में सामजिक और आर्थिक दृष्टि से भारी अन्तर दिखाई पड़ता है। जहाँ मिल मालिक कारों में घूमते हैं और विशाल भवनों में रहते हैं वहाँ उनके कारखाने के श्रमिक की काम करते हुए मृत्यु हो जाने पर कभी–कभी उसे कफन भी नहीं मिल पाता। श्रमिकों को मानव सुलभ सुविधायें भी प्राप्त नहीं है। इस भयंकर भेद के रहते हुए समाज का संगठन कितने दिन टिकेगा? सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से व्यक्ति–व्यक्ति में यह भयंकर भेद कम होगा और निम्न वर्गीय लोगों को भी मानव सुलभ सुविधायें मिल सकेंगी। इससे पूर्ण समाजवादी व्यवस्था की स्थापना तक समाज का संगठन और प्रगति बनी रहेगी। भारतवर्ष क्रमशः समाजवादी व्यवस्था की ओर जा रही है। इस प्रगति में सामाजिक सुरक्षा का बड़ा महत्व है, क्योंकि "सामाजिक सुरक्षा समान अवसर प्रदान करती है, सामाजिक विषमताओं को कम करती है और व्यक्ति–व्यक्ति के बीच आन्तरिक तथा अनुल्लंघनीय भेदों को उन्मुक्त क्रीड़ा के लिए प्रोत्साहित करती है।[5]

भारत जैसे निम्न विकसित देशों में निर्धनता, गन्दगी, बीमारी, बेकारी तथा अभाव का विकसित देशों से बहुत अधिक प्रकोप होता है। इन्हीं के कारण वे अविकसित कहलाते हैं और इन्हीं के उन्मूलन से उनका विकास हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा योजना इन सबको दूर नहीं कर सकती परन्तु वह व्यक्ति की इन दानवों से रक्षा अवश्य करती है। अतः देश के भली प्रकार विकसित होने तक अर्थात् अविकसित देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व और भी अधिक होता है। निम्न–विकसित देश की सामाजिक सुरक्षा योजना की रूपरेखा स्थूल रूप से निम्नलिखित होगा :

सरकार श्रमिकों, श्रम संघों तथा मिल मालिकों से परामर्श करके और भली प्रकार से जाँच करके सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विविध व्यवस्थाओं के लिए अधिनियम बनायेगी। इन अधिनियमों का पालन देश के सभी सेवायोजकों के लिए अनिवार्य होगा। कानून का उल्लंघन करने पर उनको कर्मचारियों को हर्जाना देना पड़ेगा तथा दण्ड भोगना पड़ेगा। राजकीय निरीक्षक सभी सेवायोजकों के काम की कठोरतापूर्वक जाँच करेंगे। देश में प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त होगी जिससे कर्मचारी अपना हित समझ सके, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं का रेडियो, पोस्टरों समाचारपत्रों, व्याख्यानों तथा पम्फलैट द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा। कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने के लिए एक अलग विभाग बनाया जायेगा जो उनकी शिकायतों की फौरन जाँच करे और सरकार को खबर दे ताकि सरकारी कार्यवाही तत्काल की जा सके।

उपरोक्त व्यवस्था के साथ सामाजिक सुरक्षा की निम्न व्यवस्थाओं के लिए भी कानून बनाये जायेंगे :

**सब श्रमिकों के लिए –** (1) सामाजिक बीमा की व्यवस्था, (2) निर्वाह निधि की व्यवस्था, (3) काम करने में दुर्घटना के शिकार हो जाने या मर जाने पर कर्मचारियों या उसके परिवार को पेन्शन की व्यवस्था, (4) रोग की अवस्था में मुफ्त और पर्याप्त चिकित्सा तथा सवेतन अवकाश की व्यवस्था, (5) क्षतिपूर्ति की रकम के पर्याप्त होने की व्यवस्था, (6) शिक्षा की व्यवस्था, (7) काम करने की स्वास्थ्यप्रद दशाओं की व्यवस्था, (8) बेकारी हित लाभ की व्यवस्था।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

**2 स्त्री श्रमिकों के लिए –** (1) मातृत्व लाभ आर्थिक सहायता की व्यवस्था, (2) प्रसूति के पहले और बाद में कुछ हफ्त के लिए सवेतन अवकाश की व्यवस्था, (3) शिशु गृहों की व्यवस्था, (4) काम करने की स्वास्थ्यप्रद दशाओं की व्यवस्था।

इन सब व्यवस्थाओं की विस्तृत रूपरेखा देशकाल की परिस्थिति के अनुसार अलग–अलग होगी। क्रमशः इन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है।

## सदर्न्भ ग्रन्थ सूची

1. Social security is an attack on five giants, namely, Want, Disease. Ignorance, Sqalor and Idleness." – Sir William Beveridge, The Beveridge Plan (1942).
2. "Social Security is the security that society furnishes through appropriate organization against certain risks to which its members are exposed." Approaches to Social Security, I.L.O. Publication (1950), p. 83.
3. "Each country must create, converse and build up the intellectual, moral and physical vigour of its active generation, prepare the way for its future generation and support the generation that has been discharged from productive life. This is social security– a genuine and rational economy of human resources and values."– First Inter American Conference on Social Security (1942).
4. "Over and above the minimum conditions which social security provides there would still be immense scope for individual initiative and voluntary effort to climb the social ladder and to satisfy individual aspirations. Such a system would not undermine self-reliance nor would security mean comfort devoid of inner dynamic force. Freedom from want would serve as a springing board towards freedom for self expression." – V. Jagannatham Social Insurance in India, International Educational Publishing House Ltd., Amsterdom (1954), p. 96.
5. "Social security offers equitable opportunities, reduces social inequalities and encourages the free play of inherent aud ineradicable differences which exist between one individual and another." – V. Jagannatham, Ibid.

*****